राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा–2/2003 जयपुर, दिनांक : 24/5/17

1. निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
   बीकानेर।

2. निदेशक,
   प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
   बीकानेर।

विषय : प्राशि के विद्यालयों के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3बी में दर्ज कार्मिको (ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनका वेतन प्राशि/पंचायतीराज विभाग से आहरित हो रहा है) के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्राशि के विद्यालयों के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालयों में ऐसे शिक्षक/कार्मिक कार्यरत है, जिनका वेतन प्राशि/पंचायतीराज विभाग से आहरित किया जा रहा है तथा ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को शाला दर्पण के 3बी में दर्ज किया हुआ है। उक्त 3बी में दर्ज शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन निम्नानुसार किया जावें :–

1. **शाला दर्पण के 3बी में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक–विभिन्न विषय का समायोजन :–**
   - 3बी में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक का सम्बन्धित विषय का पद यदि उसी विद्यालय में रिक्त है तो वरिष्ठ अध्यापक को उसी विद्यालय में समायोजित किया जावें।
   - उसी विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में सम्भाग में सम्बन्धित विषय की समस्त रिक्तियाँ प्रदर्शित करते हुये इस विभाग द्वारा जारी पूर्व दिशा–निर्देश पत्रांक प. 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 के अनुसार वरियता निर्धारित करते हुये काउन्सलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जावें।
   - यदि उक्त कार्यवाही के पश्चात् भी शाला दर्पण के 3बी में वरिष्ठ अध्यापक शेष रहते है तो शेष वरिष्ठ अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा को सुपुर्द किये जावें। जिन्हें प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्राथमिकता से उत्कृष्ट उप्रावि में समायोजित किया जावें।

2. **शाला दर्पण के 3बी में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1 तथा लेवल–2 (विषयवार) का समायोजन :–**
   - यदि अध्यापक का राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के नियम–6डी के तहत

क्रमशः : पृ.सं.–2

24.5.17

www.rajteachers.com

सैटअप परिवर्तन हो चुका है अथवा अध्यापक शिक्षा सैटअप का हैं तथा उसी विद्यालय में सम्बन्धित विषय का पद रिक्त है तो उसी विद्यालय में समायोजित किया जावें।

- उस विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में काउन्सलिंग के माध्यम से पूर्व में जारी समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 08.05.2016 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालय में समायोजित किया जावें।
- यदि उक्त कार्यवाही के पश्चात् भी शाला दर्पण के 3बी में अध्यापक शेष रहते है तो शेष अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा को सुपुर्द किये जावें।
- यदि अध्यापक का राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के नियम–6डी के तहत सैटअप परिवर्तन नहीं हुआ है तो माध्यमिक शिक्षा द्वारा शिक्षक को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया जावें।

3. **शाला दर्पण में 3बी में कार्यरत पीटीआई का समायोजन :–**
   - 3बी में कार्यरत पीटीआई को यदि उसी विद्यालय में पद रिक्त है को उसी विद्यालय में समायोजित किया जावें।
   - उस विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में काउन्सलिंग के माध्यम से पूर्व में तृतीय श्रेणी अध्यापकों हेतु जारी समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 08.05.2016 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालय में समायोजित किया जावें।
   - यदि उक्त कार्यवाही के पश्चात् भी शाला दर्पण के 3बी में पीटीआई शेष रहते है तो शेष पीटीआई को प्रारम्भिक शिक्षा को सुपुर्द किये जावें।

4. **शाला दर्पण में 3बी में कार्यरत लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का समायोजन :–**
   - उसी विद्यालय में रिक्त पद होने की स्थिति में लिपिक ग्रेड–II / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उसी विद्यालय में समायोजित किया जावें।
   - उस विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लिपिक ग्रेड–II / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अधिशेष घोषित किया जाकर जिले के रिक्त पदों वाले माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों में विकल्प पत्र के माध्यम से समायोजित किया जावें।

5. **शाला दर्पण के 3बी में कार्यरत संविदाकर्मियों का समायोजन :–** माध्यमिक शिक्षा द्वारा संविदाकर्मी (विद्यालय सहायक / प्रबोधक / शिक्षाकर्मी / वरिष्ठ शिक्षाकर्मी / पैरा टीचर–महिला / पैराटीचर –शाशि. / पैराटीचर–राजीव गांधी / पैराटीचर–वैकल्पिक) को प्रारम्भिक शिक्षा के सुपुर्द किये जावें। जिन्हें प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में समायोजित किया जावें।

6. **प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा समायोजन :–** उक्त चरणों से माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध कराये गये शिक्षकों (विषयवार) / कार्मिकों के साथ प्रारम्भिक शिक्षा में अधिशेष शिक्षकों

क्रमश : पृ.सं.–3

24.5.17

www.rajteachers.com

(विषयवार)/कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये समस्त शिक्षकों का प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश प. 5 (8) प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के अनुसार काउन्सलिंग के माध्यम से समायोजन किया जावें।

7. किसी विद्यालय में किसी पद/विषय के रिक्त पदों की संख्या उसी पद/विषय के समायोजित होने वाले कार्मिकों की संख्या से कम है तो समन्वयन से पूर्व के विद्यालयों में कार्यग्रहण तिथि के अनुसार वरिष्ठतम कार्मिकों का समायोजन उसी विद्यालय में किया जावें।

8. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 से नियुक्त कार्मिकों का पदस्थापन शहरी क्षेत्रों में नहीं किया जावें।

9. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम को निर्देशित करें कि वे उसी विद्यालय में समायोजित होने वाले कार्मिकों के समायोजन आदेश तथा काउन्सलिंग हेतु पदस्थापित किये जाने वाले कार्मिकों की सूची दिनांक 31.05.2017 तक जारी करे तथा काउन्सलिंग से पदस्थापित किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या के आधार पर काउन्सलिंग कैम्प की तिथियाँ निर्धारित कर दिनांक 05.06.2017 तक समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (संस्थापन) विभाग।
5. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, सम्भाग................................
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला.........................
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

www.rajteachers.com